

**राजस्थान वित्त विधेयक, 2022**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारम्भिक**

1. **संक्षिप्त नाम.**- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2022 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.**- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबंध, उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

**अध्याय 2**

**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन**

3. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.**- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) में,-

- (i) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह भी कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, इस धारा में उपबंधित परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात् भी पुनरीक्षण को स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिसीमा अवधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण फाइल नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था:"।

4. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.**- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

- (i) अनुच्छेद 17 में, स्तम्भ संख्यांक 2 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो," हटायी जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अनुच्छेद 35-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**" 35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा)-**

(1) किसी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन की लिखत,-

(क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति पारिणामिक संस्था में निहित हो;

(ख) किसी अन्य मामले में।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत,-

(क) जहां सीमित दायित्व भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है;

(ख) प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है;

(ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान केवल स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है;

स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।

पांच हजार रुपये।

प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, चार प्रतिशत।

दो हजार रुपये।

दस हजार की अधिकतम शुल्क के अध्यक्षीन रहते हुए, दो हजार रुपये।

सीमित दायित्व भागीदारी में उस भागीदार के, जो वह संपत्ति लेकर आया था, शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी

(घ) जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति और नकद दोनों के रूप में किया गया है।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन,-

(क) जहां स्थावर सम्पत्ति किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय उसके शेयर अंशदान के रूप में लायी गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली गयी हो;

(ख) जहां स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित की गयी हो और विघटन पर ऐसी संपत्ति भागीदारों के मध्य वितरित की गयी हो।

(5) भागीदार का निवर्तन,-

(क) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं लेता है;

संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

नकद के रूप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (क) और (ख) के अनुसार और स्थावर संपत्ति के रूप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (ग) के अनुसार।

वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

सीमित दायित्व भागीदारी में उस भागीदार के, जो विघटन पर वह संपत्ति लेता है, शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

वही शुल्क जो सीमित दायित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार या भागीदारों के शेयर के बराबर सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर संपत्ति के भाग के बाजार मूल्य पर

- |  |   |    |
|--|---|----|
|  | हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।   |    |
| (ख) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर संपत्ति लेता है, जो उसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय, उसके अंशदान के शेयर के रूप में नहीं लायी गयी थी; | वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।  |    |
| (ग) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर संपत्ति लेता है जिसे सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित किया गया था;                             | सीमित दायित्व भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार के शेयर के बराबर संपत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है। |    |
| (घ) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर संपत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है, जो उसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के गठन के समय उसके अंशदान के शेयर के रूप में लायी गयी थी;      | पांच सौ रुपये।  |    |
| (ङ) जहां ऐसे भागीदार के निवर्तन के समय सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व में कोई स्थावर संपत्ति नहीं है।   | पांच सौ रुपये।  |    |
| (6) किसी अन्य मामले में।   | पांच सौ रुपये।  | "। |

### अध्याय 3

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

**5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 174 का संशोधन.-** राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की विद्यमान उप-धारा (2क) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2ख) उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

- (i) 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित गलती की कोई परिशुद्धि, निरसित अधिनियमों के अधीन प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यवहारी द्वारा आवेदन करने पर शुरू की जा सकेगी। व्यवहारी द्वारा आवेदन करने की दशा में, उस आवेदन का निपटारा उसके फाइल करने की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर किया जायेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाये वहां वह मंजूर कर लिया गया समझा जायेगा;
- (ii) 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित निरसित अधिनियमों की किसी भी धारा के अधीन पारित किसी एकपक्षीय निर्धारण या सर्वोत्तम विवेकबुद्धि निर्धारण को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यवहारी द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को सीधे ही व्यक्तिशः आवेदन प्रस्तुत करने पर पुनः खोला जा सकेगा। व्यवहारी द्वारा आवेदन करने की दशा में, निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण आदेश के पुनः खोले जाने से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर नया निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा; और
- (iii) जहां 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) सहित निरसित अधिनियमों के अधीन संदेय किसी रकम की कोई मांग किसी भी समयावधि से बकाया है और कुर्क किये जाने और विक्रीत किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अभाव में अवसूलीय है वहां ऐसे मामलों में ऐसी मांग आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लिखित आदेश द्वारा अपलिखित की जा सकेगी।"

#### **अध्याय 4**

#### **राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन**

**6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 52 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 52 में विद्यमान खण्ड (क) से (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह एक लाख रुपये से अधिक की न हो;

- (ख) सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह पांच लाख रुपये से अधिक की न हो;
- (ग) उप-आयुक्त (प्रशासन) द्वारा, यदि वह पांच लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु पच्चीस लाख रुपये से अधिक की न हो;
- (घ) आयुक्त द्वारा, यदि वह पच्चीस लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक की न हो; और
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा, यदि वह पांच करोड़ रुपये से अधिक की हो।"।

## अध्याय 5

### राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन किये गये आदेशों का विधिमान्यकरण

7. कतिपय आदेशों का विधिमान्यकरण.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन सम्मिलित माल के संबंध में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3) की धारा 9 और 10 द्वारा क्रमशः राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 33 में अंतःस्थापित उप-धारा (4क) और धारा 34 में जोड़ी गयी उप-धारा (3क) के अधीन किया गया कोई आदेश विधिमान्य होगा।

## अध्याय 6

### राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

8. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नब्बे दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक कलैण्डर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

### 1. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण फाइल नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था, परिसीमा अवधि के अवसान के पश्चात् भी पुनरीक्षण को स्वीकार करने के लिए सशक्त करने हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 17 में विनिर्दिष्ट विक्रय प्रमाण-पत्र पर स्टाम्प शुल्क, क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र या संपत्ति के बाजार मूल्य (डीएलसी दरों पर आधारित), जो भी अधिक हो, की दर पर प्रभार्य है। चूंकि लोक नीलाम में नीलाम कीमत (क्रय-धन) बाजार मूल्य को दर्शाती है, इसलिए लोक नीलाम में विक्रीत संपत्ति के अंतिम बाजार मूल्य के रूप में क्रय-धन को मान्यता देने हेतु उक्त अनुच्छेद को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

भागीदारी फर्म से संबंधित समान लिखतों के समरूप, सीमित दायित्व भागीदारी के गठन या विघटन की लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क और उसके भागीदारों के निवर्तन से संबंधित उपबंध करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

### 2. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) निरसित किया गया था, 01.07.2017 से प्रवृत्त हुआ। तथापि, तदधीन निरसित अधिनियमों से संबंधित एक बड़ी संख्या में मांग और विवाद एकपक्षीय निर्धारण के मद्धे और परिशुद्धि के अभाव में बकाया हैं। इसलिए, निर्धारण प्राधिकारियों को अभिलेख से प्रकट अशुद्धियों की स्वप्रेरणा से परिशुद्धि करने और एकपक्षीय या सर्वोत्तम विवेकबुद्धि निर्धारणों को स्वप्रेरणा से पुनः खोलने के लिए सशक्त करने हेतु राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 में एक नयी उप-धारा (2ख) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है। अवसूलीय मांगों को अपलिखित करने की रीति भी विनिर्दिष्ट की जानी प्रस्तावित है।

### 3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 52 मांगों को अपलिखित करने के लिए उपबंध करती है। उसमें भिन्न-भिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए भिन्न-भिन्न धन-संबंधी परिसीमाएं विहित की गयी हैं। ये परिसीमाएं अधिनियम की अधिनियमिति के समय नियत की गयी थी और तब से पुनरीक्षित नहीं की गयी है। इसलिए, राजस्थान माल और सेवा

कर अधिनियम (2017 का अधिनियम सं. 9) में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए उक्त धारा के संशोधन द्वारा उक्त परिसीमाओं को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

#### **4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन किये गये आदेशों का विधिमान्यकरण**

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3) की धारा 9 और 10 द्वारा क्रमशः यथासंशोधित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 की उप-धारा (4क) और धारा 34 की उप-धारा (3क) के अधीन किये गये किसी आदेश को विधिमान्य करने के लिए विधेयक में नया खण्ड प्रस्तावित है।

#### **5. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951**

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक का खण्ड (ii) मोटर यान के उपयोग में नहीं आने के कारण मोटर यान कर का उद्ग्रहण न किये जाने के प्रयोजन के लिए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण के लिए नब्बे दिन की अधिकतम कालावधि का उपबंध करता है। सार्वजनिक सेवा यानों को संचालित करने के अनिवार्य निर्बंधनात्मक आदेशों, मोटर यान के पार्टस की अवरुद्ध आपूर्ति और विभिन्न सेवा केन्द्रों पर यानों की मरम्मत को दृष्टिगत रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण की अधिकतम कालावधि को नब्बे दिन से एक कलैण्डर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

**अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।**



**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

**[सं.प. 12(11)वित्त/कर/2022 दिनांक 23.02.2022**

**प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

**65. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण.-** (1) अधिनियम के अध्याय 4 और 5 तथा धारा 29 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) और धारा 35 के अधीन महानिरीक्षक स्टाम्प या कलक्टर द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा:

परन्तु महानिरीक्षक स्टाम्प या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा विशिष्टतया या सामान्यतया प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि इस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 180 दिवस के भीतर-भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा।

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूलीय राशि के पच्चीस प्रतिशत का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो।

(2)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन		उचित स्टाम्प शुल्क	
1		2	
XX	XX	XX	XX
<p><b>17. विक्रय प्रमाण-पत्र</b> (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम कर चढ़ाई गयी है और बेची गयी है) जो किसी सिविल या राजस्व न्यायालय, या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या लोक नीलाम द्वारा सम्पत्ति विक्रय करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के क्रेता को मंजूर किया गया है।</p>		<p>वही शुल्क जो क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर लगता है।</p>	
XX	XX	XX	XX
<p><b>35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी (सीदाभा).-</b> (1) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत-</p> <p>(क) जहां भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है</p> <p>(ख) प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया</p>		<p>दो हजार रुपये।</p> <p>अधिकतम दस हजार रुपये के शुल्क के अध्यक्षीन रहते हुए, दो हजार रुपये।</p>	

ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है

(ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है

(2) किसी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन की लिखत-

(क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति पारिणामिक संस्था में निहित हो

(ख) किसी अन्य मामले में

(3) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन

(4) सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या विघटन,-

(क) जहां भागीदारी के विघटन पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार, जो उस सम्पत्ति को सीमित दायित्व भागीदारी में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है

(ख) किसी अन्य मामले में

वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं.21) पर लगता है।

स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।

पांच हजार रुपये।

प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो, चार प्रतिशत।

न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

पांच सौ रुपये।

XX XX XX XX XX

**राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये**

**उद्धरण**

XX XX XX XX

**174. निरसन और व्यावृत्ति.-** (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) का इसके द्वारा निरसन किया जाता है:-

- (i) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के सिवाय, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);
- (ii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);

- (iii) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);
- (iv) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9);
- (v) राजस्थान (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11); और
- (vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13)।

(2) XX XX XX

(2क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

- (i) ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं और आदेशों से लोप करने, उनमें जोड़ने और उनका अनुकूलन तथा उपान्तरण करने के लिए;
- (ii) निरसित अधिनियमों के अधीन वसूलीय बकाया शोध्यों के परिनिर्धारण के लिए किसी स्कीम की विरचना को सम्मिलित करते हुए, निरसित अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय कर की वसूली, छूट, अधित्यजन, अपलेखन या रिबेट के लिए; और
- (iii) ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को, जो निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्रयोक्तव्य ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, जैसाकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये, विनिर्दिष्ट करने के लिए,

ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(3) धारा 173 और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों के उल्लेख को निरसन के प्रभाव के संदर्भ में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों के व्यापक रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

XX XX XX XX

**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये**

**उद्धरण**

XX XX XX XX

**52. मांग को अपलिखित करने का अधिकार.-** जहां किसी व्यवहारी के विरुद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) सहित इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई मांग, ऐसी तारीख से, जिसको वह शोध्य हुई, दस वर्ष से अधिक समय से बकाया है और ऐसी मांग, कुर्क किये जाने और विक्रीत किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के अभाव में अवसूलीय हो गयी है वहां मांगों को अपलिखित करने का उपबंध करने वाली अन्य विधि या नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मांग, विहित रीति से-

(क) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह दस हजार रुपये से अधिक की न हो;

- (ख) सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा, यदि वह दस हजार रुपये से अधिक की हो किन्तु पच्चीस हजार रुपये से अधिक की न हो;
- (ग) उप-आयुक्त (प्रशासन) द्वारा, यदि वह पच्चीस हजार रुपये से अधिक की हो किन्तु एक लाख रुपये से अधिक की न हो;
- (घ) आयुक्त द्वारा, यदि वह एक लाख रुपये से अधिक की हो किन्तु दस लाख रुपये से अधिक की न हो; और
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा, यदि वह दस लाख रुपये से अधिक की हो-

लिखित आदेश द्वारा अपलिखित की जा सकेगी।

XX

XX

XX

XX

**राजस्थान वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3) से लिये गये उद्धरण**

XX

XX

XX

XX

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 33 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 33 में विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (5) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित परिशुद्धि आवेदन, 30 जून, 2021 तक फाइल किया जा सकेगा और ऐसे आवेदन 30 सितम्बर, 2021 तक या उनके फाइल किये जाने की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, निपटाये जायेंगे।"

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 30 जून, 2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित इस धारा के अधीन आवेदन, 30 सितम्बर, 2021 तक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को सीधे ही व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर-भीतर नया निर्धारण करने की कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा।"

XX

XX

XX

XX

**राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण**

XX

XX

XX

XX

**4. कर का अधिरोपण.- (1) XX XX XX**

(2) इस धारा के अधीन एकबारीय कर के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों से भिन्न मोटर यानों पर कर, मोटर यान के स्वामी द्वारा उस कालावधि को छोड़कर संदेय होगा, जिसके दौरान वह स्वामी कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र विहित रीति से अभ्यर्पित कर देता है कि यान ऐसे



*(Authorised English Version)*

**THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2022**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

*further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2022-23 and to make certain other provisions.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I  
PRELIMINARY**

**1. Short title.-** This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2022.

**2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.-** In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 4, 5, 6, 7 and 8 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II  
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

**3. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in the existing second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided also that" shall be substituted; and
- (ii) before the second proviso so amended, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Chief Controlling Revenue Authority may admit revision after the expiry of the period of limitation provided in this section, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the revision within the limitation:".

**4. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In the Schedule of the principal Act,-

- (i) in Article 17, the existing expression "or market value of the property, whichever is higher" appearing under Column No. 2, shall be deleted; and
- (ii) for the existing Article 35-B, the following shall be substituted, namely:-

**" 35-B. Limited Liability Partnership  
(LLP)-**

(1) Instrument of conversion of a firm, a private limited company or an unlisted

public limited company into limited liability partnership or *vice-versa*,-

- (a) Where on conversion immovable property vests in the resultant entity;
- (b) in any other case.
- (2) Reconstruction or amalgamation of limited liability partnership.

Two percent on the market value of immovable property.

Five thousand rupees.

Four percent on the consideration or market value of the immovable property of the transferor limited liability partnership located within the State of Rajasthan, whichever is higher.

(3) Instrument of constitution of limited liability partnership,-

- (a) Where there is no share contribution in limited liability partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-;
- (b) Where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof;
- (c) Where such share contribution is brought in by way of only immovable property;

Two thousand rupees.

Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand.

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in limited liability partnership who brought that property.

- (d) Where such share contribution is brought in by way of both immovable property and cash.

As per sub-clauses (a) and (b) on the part of share contribution in the form of cash and as per sub-clause (c) on the part of share contribution in the form of immovable property.

(4) Dissolution of limited liability partnership,-

- (a) Where the immovable property is brought in by any partner as his share contribution at the time of constitution of the limited liability

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.



partnership and such property is taken by any other partner as his share on dissolution;

- (b) Where immovable property is acquired by the limited liability partnership after its constitution and such property is distributed among the partners on dissolution.

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in limited liability partnership who takes that property on dissolution.

(5) Retirement of partner,-

- (a) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes no immovable property at the time of his retirement;

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the part of the immovable property of the limited liability partnership equal to the share of the retiring partner or partners in the limited liability partnership.

- (b) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was not brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the limited liability partnership;

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.

- (c) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was acquired by limited liability partnership after its constitution;

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the retiring partner in limited liability partnership.

- (d) Where the limited liability partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was brought in by him as his share of

Five hundred rupees.

- contribution at the time of constitution of the limited liability partnership;
- (e) Where the limited liability partnership does not own any immovable property at the time of retirement of such partner. Five hundred rupees.
- (6) In any other case. Five hundred rupees. "

### **CHAPTER III**

#### **AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**

**5. Amendment of section 174, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** After the existing sub-section (2A) and before the existing sub-section (3) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(2B) Notwithstanding anything contained in the Acts repealed under sub-section (1),-

- (i) any rectification of mistake pertaining to any period upto 30th June, 2017 may be initiated under the repealed Acts, suo-moto by assessing authority or on application by the dealer. In case of application by dealer, it shall be disposed of within ninety days from the date of filing and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted;
- (ii) an ex-parte assessment or best judgment assessment pertaining to any period upto 30th June, 2017 passed under any section of the repealed Acts may be re-opened suo-moto by assessing authority or on application by the dealer submitted manually, directly to assessing authority. In case of application by dealer, assessing authority shall proceed to make a fresh assessment within ninety days from the re-opening of assessment order; and
- (iii) where a demand of any amount payable under the repealed Acts including the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) pertaining to any period upto 30<sup>th</sup> June, 2017, has been outstanding for any length of time and is irrecoverable for want of any kind of property for being attached and sold, in such cases, demand may be written off through an order in writing, in the manner specified by the Commissioner, Commercial Taxes."

**CHAPTER IV**  
**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

**6. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** For the existing clauses (a) to (e) in section 52 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the following shall be substituted, namely:-

- "(a) by the Assistant Commercial Taxes Officer, if it does not exceed rupees one lac;
- (b) by the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, if it does not exceed rupees five lac;
- (c) by the Deputy Commissioner (Administration), if it exceeds rupees five lac but does not exceed rupees twenty five lac;
- (d) by the Commissioner, if it exceeds rupees twenty five lac but does not exceed rupees five crore; and
- (e) by the State Government, if it exceeds rupees five crore."

**CHAPTER V**  
**VALIDATION OF ORDERS MADE UNDER THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

**7. Validation of certain orders.-** Any order made under sub-section (4A) inserted in section 33 and sub-section (3A) added in section 34 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) by sections 9 and 10 of the Rajasthan Finance Act, 2021 (Act No. 3 of 2021) respectively, in respect of goods subsumed under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) shall be valid.

**CHAPTER VI**  
**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951**

**8. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-** In clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), for the existing expression "ninety days", the expression "one hundred eighty days in a calendar year" shall be substituted.

## **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

### **1. THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998**

Section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to empower the Chief Controlling Revenue Authority to accept revisions after expiry of limitation period, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing revision within the period specified in the said section.

At present stamp duty on the certificate of sale specified in Article 17 to the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is chargeable at the rate of conveyance for consideration equal to the amount of the purchase-money or market value of the property (based on DLC rates), whichever is higher. Since in public auctions, auction price (purchase-money) represents market value therefore, the said Article is proposed to be amended to recognize the purchase-money as final market value of the property sold in public auction.

Provisions of Article 35-B to the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 are proposed to be amended to make the provisions relating to stamp duty payable on instruments of constitution or dissolution of limited liability partnership and retirement of partners thereof, similar to that of the same instruments relating to partnership firms.

### **2. THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) which repealed the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), came into force from 01.07.2017. However, a large number of demands and disputes pertaining to the Acts repealed thereunder are outstanding on account of ex-parte assessments and for want of rectification. Therefore, new sub-section (2B) is proposed to be inserted in section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) so as to empower the assessing authorities to suo-moto rectify the mistakes apparent on the record and suo-moto re-open the ex-parte or best judgment assessments. The manner for writing off irrecoverable demands is also proposed to be specified.

### **3. THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

Section 52 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for write-off of demands. Different pecuniary limits have been prescribed for different levels of officers therein. These limits were fixed at the time of enactment of the Act and have not been revised ever since. Therefore, the said limits are proposed to be increased by amending the said section for goods not subsumed in Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017).

### **4. VALIDATION OF ORDERS MADE UNDER THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

In order to validate any order made under sub-section (4A) of section 33 and sub-section (3A) of section 34 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 as amended by sections 9 and 10 of the Rajasthan Finance Act, 2021 (Act No. 3 of 2021) respectively, a new clause is proposed in the Bill.

### **5. THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951**

Clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 provides maximum period of ninety days of surrender of Certificate of Registration of Motor Vehicle for the purpose of non-levy of Motor Vehicle Tax owing to its non-use. Looking into compulsive restrictive orders to operate public service vehicles, supply restraints of motor vehicle parts and repairs of vehicle at multiple service

stations, the maximum period of surrender of certificate of registration needs to be extended from ninety days to one hundred eighty days in a calendar year.

Accordingly, clause (ii) of first proviso to sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**(अशोक गहलोट)**  
**Minister Incharge.**

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय  
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

**[सं.प. 12(11)वित्त/कर/2022 दिनांक 23.02.2022**

**प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।



(b) in any other case	Five thousand rupees.
(3) Reconstruction or amalgamation of limited liability partnership	Four percent on the consideration or market value of the immovable property of the transferor limited liability partnership located within the State of Rajasthan, whichever is higher.
(4) Winding up or dissolution of limited liability partnership,—	
(a) where on a dissolution of the partnership any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the limited liability partnership;	The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of such property, subject to a minimum of one hundred rupees.
(b) in any other case.	Five hundred rupees.
XX	XX
XX	XX
XX	XX
XX	XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017  
(Act No. 9 of 2017)**

XX XX XX XX

**174. Repeal and saving.-** (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act,

- (i) the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), except in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution;
- (ii) the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
- (iii) the Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);
- (iv) the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996);
- (v) the Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994); and
- (vi) the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999),

(hereafter referred to as the repealed Acts) are hereby repealed.

(2) XX XX XX

(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as appears to it necessary or expedient, for-

- (i) making omissions from, additions to and adaptations and modifications of the rules in made, notifications and orders issued under the repealed Acts, from such date as may be specified therein;
- (ii) recovery, exemption, waiver, write off or rebate of tax leviable under the repealed Acts including framing of any scheme for settlement of outstanding dues recoverable under the repealed Acts; and



- (iii) specifying the authority, officer or person who shall be competent to exercise such functions exercisable under any of the repealed Acts or any rules made, notifications or orders issued thereunder as may be mentioned in the said notification.

(3) The mention of the particular matters referred to in section 173 and sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) with regard to the effect of repeal.

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003  
(Act No. 4 of 2003)**

XX XX XX XX

**52. Power to write off demand.-** Where a demand against a dealer payable under this Act including the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) has been outstanding for more than ten years from the date it became due and such demand has been rendered irrecoverable for want of any kind of property for being attached and sold, without prejudice to the provisions of other law or rules providing for writing off of demands, such demand may be written off through an order in writing, in the manner prescribed—

- (a) by the Assistant Commercial Taxes Officer, if it does not exceed rupees ten thousand;
- (b) by the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, if it exceeds rupees ten thousand but does not exceed rupees twenty five thousand;
- (c) by the Deputy Commissioner (Administration), if it exceeds rupees twenty five thousand but does not exceed rupees one lac;
- (d) by the Commissioner, if it exceeds rupees one lac but does not exceed rupees ten lacs; and
- (e) by the State Government, if it exceeds rupees ten lacs.

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2021  
(Act No. 3 of 2021)**

XX XX XX XX

**9. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** In section 33 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (4) and before the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A) Notwithstanding anything contained in this section, the rectification application pertaining to any period up to 30th June, 2017 may be filed by 30th June, 2021 and such applications shall be disposed of up to 30th September, 2021 or within six months from the date of filing thereof, whichever is later."

**10. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** In section 34 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3A) Notwithstanding anything contained in this section, the application under this section pertaining to any period up to 30th June, 2017 may be submitted manually, directly to the concerned assessing authority up to 30th September, 2021 and the

assessing authority shall proceed to make a fresh assessment within ninety days of the receipt of such application."

XX XX XX XX

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION  
ACT, 1951 (Act No. 11 of 1951)**

XX XX XX XX

**4. Imposition of Tax.-** (1) XX XX XX

(2) A tax on motor vehicles other than those covered by one time tax shall be payable under this section by the owner of motor vehicle except for the period during which the owner surrenders the certificate of registration to the taxation officer, in the prescribed manner, that the vehicle has remained out of use for such reasons as may be prescribed, or satisfies the taxation officer that vehicle has not been used due to following reasons:-

(i) to (iii) XX XX XX

Provided that,-

- (i) the period of such surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than thirty days for other than stage carriages; and
- (ii) the period of such surrender shall not be more than ninety days for all categories of vehicles except in case of theft of the vehicle:

Provided further that where a motor vehicle, other than those which has paid One Time Tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 is found plying after the surrender of the certificate of registration, the tax on such vehicle shall be payable forthwith for the entire period for which such registration was surrendered along with a penalty equal to five times the amount of tax but no such tax or penalty shall be charged from empty vehicle going for repair or for test purposes.

XX XX XX XX